

**कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुड़ा भवन, पॉचवी मंजिल, भोपाल**

क्रमांक 1644 / 315 / आउशि / अनु.ब. / 17  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०९ / ०८ / २०१८

1. प्राचार्य / शिक्षा अधिकारी संबंधित  
शासकीय अग्रणी महाविद्यालय  
म०प्र० (कॉलम ०६ के अनुसार)
2. प्राचार्य,  
अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय  
म०प्र० (कॉलम ०२ के अनुसार)

**विषय :-** अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शैक्षणिक अमले को यू.जी.सी. एवं गैर शैक्षणिक अमले को छठवें वेतनमान का दिनांक ०१.०१.२००६ से ३१.०३.२०१५ तक देय एरियर्स की चतुर्थ किश्त का वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में भुगतान हेतु आवंटन।

**संदर्भ:-** म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक ७३-५/२०१४/३८-३ दिनांक १९/२०.०३.१५ एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक १४०१/२६०/अनु/१६ दिनांक ०९.०८.१६ तथा वित्त विभाग का आदेश क्रमांक ४४५/५८७/२०१७/ब-१/४ दिनांक ०९.०४.१८

--००--

संदर्भित आदेशों के अनुपालन में प्रदेश के अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में विषयांकित एरियर्स के चतुर्थ किश्त की राशि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक ५८७/५८७/२०१७/ब-१/चार दिनांक २५.०५.१८ के अनुपालन में निम्नांकित महाविद्यालयों को आवंटित की जाती है :-


क.	महाविद्यालय का नाम	पत्र क्रमांक व दिनांक	कुल स्वीकृत एरियर्स की राशि	एरियर की प्रथम व द्वितीय किश्त के रूप में भुगतान हो चुकी राशि	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम एवं कोड	चतुर्थ किश्त के लिए स्वीकृत राशि
१	२	३	४	५	६	७
१.	इस्लामिया कशीमिया महावि. इन्दौर	१९२/०२.०८.१८	३२७४१२०२	२१८२७४६८	माता जीजाबाई शास. पीजी कन्या महावि. मोतीतबेला इन्दौर १७१३८०२००४	१०९१३७३४
२.	एम.के.एच.एस. गुजराती कन्या महावि. इन्दौर	---/०२.०८.१८	१६०८३९६०८	५८७३८८५२		२९३६९४२६
	<b>योग</b>					<b>४०२८३१६०</b>
	<b>सकल योग</b>					<b>४०२८३१६०</b>

**चार करोड़, दो लाख, तिरासी हजार, एक सौ, साठ मात्र**

१. शैक्षणिक अधिकारियों को शत-प्रतिशत अनुदान भुगतान एवं महाविद्यालय के संपूर्ण स्टाफ के वेतननिर्धारण, सेवा-पुस्तिका में वेतन नियमन की प्रविष्टियों के संबंध में शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि आहरण करने वाली राशि से संबंधित वेतनमान संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर के अधीनस्थ, संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक म.प्र. द्वारा अनुमोदित हो।
२. आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु तत्कालीन म.प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग / शासन द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित एवं मान्य पदों पर की गई नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों / कर्मचारियों को देय राशि का ही आहरण किया जावे।



3. आवंटित राशि से केवल ऐरियर का ही भुगतान किया जावे, अन्य किसी भी राशि का भुगतान स्वीकृति आदेश के बिना न किया जावे।
4. अनुदान प्राप्त अशासकीय संगीत महाविद्यालय के शैक्षणिक अमले एवं अशैक्षणिक अमले को छठवां गैर यू.जी.सी. वेतनमान में उपरोक्त आदेशों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करें।
5. उक्त आवंटित राशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिए इनके विवेकानुसार जाँच हेतु खुले रहेंगे।
6. उपरोक्त आवंटित राशि से यदि किसी को अनियमित भुगतान किया जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक वर्ग/प्राचार्य/अनुदान प्राप्त महावि. एवं शिक्षा अधिकारी की होगी।
7. आवंटित राशि का व्यय, बजट शीर्ष 44-2202-03-104-3444-0101-42-002 वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत विकलनीय होगा।
8. दिनांक 01.04.2000 के पश्चात् नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी तथा दिनांक 23.01.2003 के पश्चात् अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी को ऐरियर्स का भुगतान उक्त आवंटन में से नहीं किया जावे।  
आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित।


  
 (डॉ० सुषमा दुबे)  
 अपर संचालक (वित्त)  
 उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

पृ.क्रमांक 1645/315/आउशि/अनु.ब./17

भोपाल, दिनांक 09/08/2018

**प्रतिलिपि :-**

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
6. संबंधित कोषालय/उप कोषालय अधिकारी, म.प्र.।
7. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.कक्ष, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

  
 (डॉ० सुषमा दुबे)  
 अपर संचालक (वित्त)  
 उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश